भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4344
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान के अंतर्गत सभी पात्र किसानों का एकीकरण

4344. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत किसानों को वितरित की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों और किसानों की संख्या कितनी है और विशेषकर महाराष्ट्र का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना में हो रही धोखाधड़ी का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो जारी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या वर्ष 2020 से पीएम-किसान के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है और इसका वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2020 से अब तक पीएम-किसान के प्रचार हेतु आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी, 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारण प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो कुछ अपवर्जन मानदंडों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों के माध्यम से अब तक रुपए 3.90 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएम-किसान के तहत जारी लाभ का राज्यवार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) पीएम-किसान के अंतर्गत 20वीं किस्त दिनांक 02.08.2025 को जारी की गई। महाराष्ट्र राज्य में पीएम-किसान की 20वीं किस्त के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों का जिलावार विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ग) पीएम-किसान योजना का लाभ, पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र (डी.बी.टी.) के माध्यम से लाभार्थियों को ट्रांसफर किया जाता है। किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिए, पी.एफ.एम.एस. (PFMS), यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, पीएम किसान डेटाबेस को राशन

कार्डों के पीडीएस (PDS) डेटाबेस के संदर्भ में सत्यापित किया जाता है, यूआईडीएआई (UIDAI) पोर्टल पर अपडेट किये गए मृत्यु के कारण निष्क्रिय आधार आदि तथा पीएफएमएस (PFMS) और आयकर डेटा के साथ डुप्लीकेशन से सत्यापित किया जाता है।

पीएम-किसान योजना के तहत किसी भी चल रही धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले, योजना के अंतर्गत लैंड सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिए गए हैं। योजना की 12वीं किस्त (अगस्त 2022 - नवंबर 2022) जारी करने के दौरान लैंड सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया था और 13वीं किस्त (दिसंबर 2022 - मार्च 2023) से आधार-आधारित भुगतान अनिवार्य कर दिया गया था। ई-केवाईसी को 15वीं किस्त (अप्रैल 2023 - जुलाई 2023) से अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रक्रिया में, 12वीं किस्त की अवधि में योजना से लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या राज्यों में अस्थायी रूप से कम हो गई। हालाँकि, जब ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें पिछली किस्तों के अर्जित लाभों के साथ-साथ योजना का लाभ मिलता है।

(ङ) केंद्र सरकार की सलाह पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-किसान से संबंधित विभिन्न प्रचार गतिविधियों का संचालन करते हैं। सरकार पीएम-किसान के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस धनराशि का उपयोग पीएम-किसान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए करते हैं, जिसमें पीएम-किसान का प्रचार-प्रसार भी शामिल है। 12.08.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासनिक व्यय के रूप में कुल 265.64 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं।

(च) मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सैचुरेशन ड्राइव चलाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। सभी पात्र किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत 15 नवंबर 2023 से एक बड़ी देशव्यापी सैचुरेशन ड्राइव चलायी गई थी। देश भर में वीबीएसवाई अभियान के दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को कवर किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, लगभग 25 लाख पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, स्व-पंजीकरण के लंबित मामलों को निपटाने के लिए 21 सितंबर 2024 से एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत, प्रारंभ से ही, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 30 लाख से अधिक लंबित स्व-पंजीकरण मामलों को मंजूरी दी गई है।

अनुबंध-1

04.08.2025 की स्थिति के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएम- किसान योजना के अंतर्गत वितरित राशि का राज्यवार , किस्तवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

#	राज्य	11वीं किस्त (अप्रैल, 2022 - जुलाई, 2022)	12वीं किस्त (अगस्त, 2022 - नवंबर, 2022)	13वीं किस्त (दिसंबर, 2022 - मार्च, 2023)	14वीं किस्त (अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023)
		वितरित राशि (करोड़ रुपये में)			
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.05	2.88	2.63	2.68
2	आंध्र प्रदेश	932.62	1,047.50	980.89	996.70
3	अरुणाचल प्रदेश	21.68	18.80	12.61	16.21
4	असम	192.23	161.38	221.60	281.62
5	बिहार	1,710.25	1,648.58	1,493.83	1,580.74
6	चंडीगढ़	0.08	0.00	0.12	0.03
7	छत्तीसगढ़	696.60	474.41	453.36	450.58
8	दिल्ली	3.29	2.50	2.65	2.77
9	गोवा	1.96	1.35	1.43	1.21
10	गुजरात	1,204.86	1,056.13	909.23	961.42
11	हरियाणा	391.10	264.26	331.04	344.22
12	हिमाचल प्रदेश	198.16	115.17	156.88	177.60
13	जम्मू और कश्मीर	252.30	88.19	188.13	176.66
14	झारखंड	717.17	350.41	260.26	318.79
15	कर्नाटक	1,300.70	1,069.08	1,044.33	1,017.44
16	केरल	707.36	406.79	485.22	554.17
17	लद्दाख	3.65	3.44	3.29	3.49
18	लक्षद्वीप	-	0.50	0.16	1.98
19	मध्य प्रदेश	1,730.12	1,681.55	1,467.44	1,684.92
20	महाराष्ट्र	2,059.92	1,889.64	1,709.27	1,867.25
21	मणिपुर	105.95	86.95	-	1.72
22	मेघालय	19.76	4.86	3.04	15.80
23	मिजोरम	18.07	18.46	9.32	14.72
24	नागालैंड	37.90	42.45	23.13	32.57
25	ओडिशा	709.86	450.90	632.32	698.86
26	पुदुचेरी	2.06	2.01	1.83	1.68
27	पंजाब	340.95	41.87	308.70	182.42
28	राजस्थान	1,493.35	1,164.19	1,136.78	1,283.28
29	सिक्किम	2.26	4.42	1.98	2.84
30	तमिलनाडु	707.52	452.94	414.31	443.91
31	तेलंगाना	740.78	656.34	615.14	614.59
32	दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन व दीव	3.71	2.60	2.34	2.42
33	त्रिपुरा	53.59	49.40	44.63	45.63
34	उत्तर प्रदेश	5,043.61	3,717.30	3,693.41	4,249.97
35	उत्तराखंड	182.19	136.07	157.80	168.86
36	पश्चिम बंगाल	1,030.14	928.73	881.52	1,004.21
	कुल योग	**22,618.80**	**18,042.08**	**17,650.61**	**19,203.93**

#	राज्य	15वीं किस्त (अगस्त, 2023 - नवंबर, 2023)	16वीं किस्त (दिसंबर, 2023 - मार्च, 2024)	17वीं किस्त (अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024)	18वीं किस्त (अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024)
		वितरित राशि (करोड़ रुपये में)			
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.93	4.90	2.80	2.80
2	आंध्र प्रदेश	893.30	924.14	875.56	836.36
3	अरुणाचल प्रदेश	12.88	18.94	18.55	25.60
4	असम	487.61	592.21	426.08	403.53
5	बिहार	1,605.95	1,705.67	1,598.95	1,544.52
6	चंडीगढ़	0.09	0.12	0.08	0.00
7	छत्तीसगढ़	576.04	580.33	577.36	570.00
8	दिल्ली	1.97	3.22	2.51	2.26
9	गोवा	1.37	1.76	1.36	1.33
10	गुजरात	1,044.61	1,203.54	1,084.42	1,038.73
11	हरियाणा	323.07	375.33	362.17	342.29
12	हिमाचल प्रदेश	169.91	185.74	190.49	171.90
13	जम्मू और कश्मीर	180.01	215.16	192.53	182.65
14	झारखंड	381.94	839.80	633.39	546.37
15	कर्नाटक	966.43	979.54	958.27	941.85
16	केरल	662.25	689.25	637.26	597.95
17	लद्दाख	3.73	4.73	4.05	3.77
18	लक्षद्वीप	0.40	0.54	0.54	0.45
19	मध्य प्रदेश	1,705.95	1,808.41	1,679.85	1,682.12
20	महाराष्ट्र	1,996.38	2,025.42	1,940.12	1,888.58
21	मणिपुर	2.53	70.44	28.01	42.79
22	मेघालय	32.14	56.83	49.02	33.91
23	मिजोरम	19.55	54.94	36.82	31.69
24	नागालैंड	29.29	36.46	49.02	42.84
25	ओडिशा	703.12	792.82	737.89	689.02
26	पुदुचेरी	1.68	1.94	1.73	1.64
27	पंजाब	152.67	247.64	290.56	272.82
28	राजस्थान	1,179.78	1,641.34	1,525.71	1,545.17
29	सिक्किम	6.73	9.72	6.40	6.75
30	तमिलनाडु	491.39	503.46	460.03	455.94
31	तेलंगाना	664.13	765.47	654.69	627.51
32	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	2.33	3.22	2.56	2.44
33	त्रिपुरा	44.57	49.14	55.50	47.67
34	उत्तर प्रदेश	4,181.87	5,376.64	4,830.47	4,982.65
35	उत्तराखंड	160.89	183.24	177.97	168.78
36	पश्चिम बंगाल	909.34	1,140.25	964.42	931.55
	कुल योग	**19,596.81**	**23,092.29**	**21,057.13**	**20,666.20**

#	राज्य	19वीं किस्त (दिसंबर, 2024 - मार्च, 2025)	20वीं किस्त (अप्रैल, 2025 - जुलाई, 2025)
		वितरित राशि (करोड़ रुपये में)	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.18	2.83
2	आंध्र प्रदेश	888.05	816.14
3	अरुणाचल प्रदेश	22.63	19.84
4	असम	499.03	400.36
5	बिहार	1,609.42	1,511.02
6	चंडीगढ़	0.00	-
7	छत्तीसगढ़	622.65	561.42
8	दिल्ली	2.59	2.89
9	गोवा	1.35	1.32
10	गुजरात	1,181.19	1,100.87
11	हरियाणा	372.25	349.77
12	हिमाचल प्रदेश	193.90	174.94
13	जम्मू और कश्मीर	207.99	182.71
14	झारखंड	833.17	468.95
15	कर्नाटक	942.17	877.32
16	केरल	653.62	606.65
17	लद्दाख	3.93	3.84
18	लक्षद्वीप	0.50	0.48
19	मध्य प्रदेश	1,817.28	1,718.97
20	महाराष्ट्र	2,013.51	1,912.57
21	मणिपुर	146.88	17.87
22	मेघालय	46.75	39.29
23	मिजोरम	48.63	37.05
24	नागालैंड	52.22	47.40
25	ओडिशा	970.37	724.72
26	पुदुचेरी	1.69	1.11
27	पंजाब	373.04	387.76
28	राजस्थान	1,804.53	1,562.73
29	सिक्किम	7.85	7.65
30	तमिलनाडु	501.87	463.97
31	तेलंगाना	655.89	620.83
32	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	2.54	2.49
33	त्रिपुरा	52.14	45.08
34	उत्तर प्रदेश	5,781.62	5,047.58
35	उत्तराखंड	185.06	182.10
36	पश्चिम बंगाल	1,001.36	942.92
	कुल योग	**23,500.83**	**20,843.44**

अनुबंध- 2

04.08.2025 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में पीएम-किसान की 20 वीं किस्त के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों का जिलावार विवरण

#	ज़िला	20वीं किस्त (अप्रैल 2025 - जुलाई 2025)	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	अहिल्यानगर	5,48,277	113.06
2	अकोला	1,87,755	38.64
3	अमरावती	2,73,626	57.19
4	बीड	3,82,085	80.90
5	भंडारा	2,14,796	44.17
6	बुलढाना	3,41,819	71.53
7	चंद्रपुर	2,45,234	50.24
8	छत्रपति संभाजीनगर	3,45,001	70.33
9	धाराशिव	2,37,673	49.15
10	धुले	1,57,606	33.28
11	गडचिरोली	1,51,570	31.06
12	गोंदिया	2,17,970	45.35
13	हिंगोली	1,76,726	36.24
14	जलगांव	3,95,527	84.61
15	जालना	2,98,655	61.76
16	कोल्हापुर	4,76,339	100.28
17	लातूर	2,71,987	55.61
18	नागपुर	1,77,110	37.30
19	नांदेड़	3,85,773	79.78
20	नंदुरबार	1,04,694	21.75
21	नासिक	4,28,800	87.60
22	पालघर	1,03,255	22.04
23	परभनी	2,50,584	51.36
24	पुणे	4,38,473	89.55
25	रायगढ़	1,17,005	24.98
26	रत्नागिरि	1,60,226	34.59
27	सांगली	3,87,858	79.14
28	सतारा	4,46,949	94.53
29	सिंधुदुर्ग	1,22,150	25.37
30	सोलापुर	4,96,707	103.60
31	थाणे	73,228	15.02
32	वर्धा	1,30,354	27.16
33	वाशिम	1,67,824	34.95
34	यवतमाल	2,91,865	60.45
	कुल योग	**92,05,501**	**1,912.57**

*****